<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सुपीरियर फैब्रिक्स, 16 / 71-A, सिविल लाइन्स, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**042 / 11, दिनांक 02.05.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एच0के0 तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।**

<u>उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-042/11, दिनांक 02.05.2011 प्रस्तुत करते हुए स्टील ट्रंक पर करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री एच0के0 तिवारी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि आयरन टिन शीट्स से स्टील ट्रंक का निर्माण किया जाता है। उ0प्र0वैट अधिनियम के शिड्यूल-2 पार्ट-सी के क्रमांक-238 पर Article of Metals Namely Boxes को सम्मिलित किया गया है। सामान्यत: बड़े बक्सों को ट्रंक कहा जाता है। आयरन, स्टील मैटल है, अत: आयरन टिन शीट से निर्मित ट्रंक, शिड्यूल-2 पार्ट-सी की प्रविष्टि-238 पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए। यह भी कहा कि सर्वश्री अवस्थी ट्रंक स्टोर्स, 46 /113, हटिया, कानपुर के मामले आयरन एण्ड स्टील से निर्मित स्टील ट्रंक पर धारा-59 के निर्णय दिनांक 30.6.2008 द्वारा उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अन्त में तद्नुसार प्रार्थना पत्र पर निर्णय करने का अनुरोध किया गया है।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-877, दिनांक 22.6.2011 से आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें यह कहा गया कि स्टील ट्रंक का डिक्शनरी अर्थ है स्टील का बड़ा, मजबूत बक्सा, जिसका उपयोग सामान रखने / यात्रा पर ले जाने के लिए किया जाता है। शिड्यूल-2 पार्ट-सी के क्रमांक-238 पर की गयी प्रविष्टि- धातु के सामान जैसे कि बॉक्स और उसके ढक्कन की है। अत: स्टील ट्रंक उक्त प्रविष्टि में कवर होता है, जिसमें कर की दर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0 द्वारा सर्वश्री अवस्थी ट्रंक स्टोर्स, 46 /113, हटिया, कानपुर के धारा-59 के मामले में निर्णय दिनांक 30.6.2008 प्रतिपादित करते हुए आयरन एण्ड स्टील से निर्मित ट्रंक पर उ0प्र0वैट अधिनियम के शिड्यूल-2 पार्ट-सी के क्रमांक-238 के अन्तर्गत पर 4% की दर से करदेयता मानी गयी है। यह प्रविष्टि निम्नवत् है :---

''Articles of Metals Namely boxes, Cases, Crates, Containers and Their Stoppers, Caps, Lids of Metal Used for Packing of goods (But not including insulated wares)''

उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि Articles of Metals Namely boxes को सम्मिलित किया गया है। सामान्यत: बड़े बक्सों को ट्रंक कहते हैं। आयरन एण्ड स्टील Metal है, अत: स्टील ट्रंक पर भी उक्त

....2

सर्वश्री सुपीरियर फैब्रिक्स / प्रा0 पत्र सं0-042 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

अनुसूची के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगीं ।

5 मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 कानपुर जोन प्रथम, कानपुर की आख्या व विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 30.6.2008, सर्वश्री अवस्थी ट्रंक स्टोर्स, 46 /113, हटिया, कानपुर के मामले में आयरन स्टील से निर्मित स्टील ट्रंक पर उ0प्र0 वैट अधिनियम की अनुसूची-2 पार्ट-सी के क्रमांक-238 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत करदेयता 4% से मानी गयी है । तद्नुसार स्टील ट्रंक पर उक्त अनुसूची के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 26,नवम्बर, 2012

ह0/- 26-11-2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ ।